न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जी.सी.एम.एस. नं. 2017/00139 **अपील संख्या 78/2017**

1. हनुमान पुत्र नाथु जाति बलाई निवासी ग्राम पुनाना तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. रामनारायण पुत्र गणपत जाति बलाई निवासी ग्राम पुनाना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. धन्ना पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी ग्राम पुनाना, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. उप पंजीयक आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

4. बिदामी पुत्री नाथू पत्नि लक्ष्मीनारायण जाति बलाई निवासी ग्राम रोजछा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. सीता पुत्री गणपत पत्नि चूला जाति बलाई निवासी ग्राम मोडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
6. प्रेम पुत्री गणपत पत्नि जीवणराम जाति बलाई निवासी ग्राम दलपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

— प्रारूपिक रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) जिला जयपुर निर्णय दिनांक 09.03.2017 अपील संख्या 09/2014 उनवानी हनुमान व अन्य बनाम धन्ना व अन्य जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 10 दिनांक 20.04.1960 ग्राम पुनाना को बहाल रखा गया ।

उपस्थित—

1. वकील अपीलान्ट श्री भगवान सहाय शर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट नं. 1 श्री घीसालाल कुमावत

निर्णय

दिनांक 30.01.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर के निर्णय दिनांक 09.03.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है ।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम पुनाना तहसील आमेर जिला जयपुर जयपुर स्थित आराजी खसरा नंबर 51, रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नंबर 52 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 53 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 54 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 58 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 59 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 60 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 61 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 73 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 209 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 27 बीघा 05 बिस्वा के काबिज रेकार्डेड खातेदार काश्तकार पर्चा चकबंदी अनुसार अपीलार्थीगण एवं प्रारूपिक रेस्पोडेन्टस् के पिता व दादा नाथू पुत्र बक्शा जाति बलाई दर्ज थे, जिनके नाम प्रथम सेटलमेंट संवत 2004 लगायत 2023 में कब्जा काश्त के अनुसार पर पर्चा खतौनी जारी हुआ। उक्त आराजीयात में अपीलार्थीगण एवं प्रारूपिक रेस्पोडेन्टस के पिता व दादा स्वर्गीय नाथू पुत्र बक्शा अकेले ही अपने जीवन पर्यन्त काश्त करते रहे उनका स्वर्गवास वर्ष 1988 के पश्चात से अपीलांट्स काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। नाथू पुत्र बक्शा अशिक्षित एवं ग्रामीण काश्तकार पेशा अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे जिनकी खातेदारी की उपरोक्त वर्णित आराजी में नामान्तकरण संख्या 10 दिनांक 20.04.1960

संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रतिवादीगण के पिता काना पुत्र तेजा जाति जाट ने नायब तहसीलदार आमेर से मिलकर धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वंय के नाम स्वीकृत करवा लिया। नायब तहसीलदार द्वारा अनुसूचित के खातेदारी की भूमि का उक्त नामान्तकरण संख्या 10 गैरकानूनी बिना क्षेत्राधिकार के स्वीकृत किया है जो अवैध एवं प्रभाव शून्य बमुकाबले अपीलार्थीगण एवं उनके पिता व दादा नाथु पुत्र कक्शा के है। उक्त नामान्तकरण से रेस्पोडेन्ट्स या उनके पिता का कोई कानूनी अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार आमेर ने धारा 19 राजस्थान का तकारी अधिनियम के अनुसार रेस्पोडेन्ट्स के पिता काना पुत्र तेजा के नाम अपीलार्थीगण के पिता व दादा के खातेदारी की भूमि का नामान्तकरण स्वीकृत किया। जबकि धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति की खातेदारी की भूमि स्वर्ण जाति के सदस्यों के नाम नामान्तकरण नायब तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण संख्या 10 दिनांक 20.04.1960 ग्राम पूनाना तहसील आमेर स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तकरण संख्या 10 दिनांक 20.04.1960 से व्यथित होकर हनुमान पुत्र नाथू वगै0 द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर के यहां अपील प्रस्तुत की गयी। अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.03.2017 द्वारा अपील खारिज करते हुये नामान्तकरण संख्या 10 दिनांक 20.04.1960 को यथावत रखा गया।

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम पुनाना तहसील आमेर जिला जयपुर जयपुर स्थित आराजी खसरा नंबर 51, रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नंबर 52 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 53 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 54 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 58 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 59 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 60 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 61 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 73 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 209 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 27 बीघा 05 बिस्वा के काबिज रेकार्डेड खातेदार काश्तकार पर्चा चकबंदी अनुसार अपीलार्थीगण एवं प्रारूपिक रेस्पोडेन्टस् के पिता व दादा नाथू पुत्र बक्शा जाति बलाई दर्ज थे, जिनके नाम प्रथम सेटलमेंट संवत 2004 लगायत 2023 में कब्जा काश्त के अनुसार पर पर्चा खतौनी जारी हुआ। उक्त आराजीयात में अपीलार्थीगण एवं प्रारूपिक रेस्पोडेन्टस के पिता व दादा स्वर्गीय नाथू पुत्र बक्शा अकेले ही अपने जीवन पर्यन्त काश्त करते रहे उनका स्वर्गवास वर्ष 1988 के पश्चात से अपीलांट्स काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। नाथू पुत्र बक्शा अशिक्षित एवं ग्रामीण काश्तकार पेशा अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे जिनकी खातेदारी की उपरोक्त वर्णित आराजी में नामान्तकरण संख्या 10 दिनांक 20.04.1960 प्रतिवादीगण के पिता काना पुत्र तेजा जाति जाट ने नायब तहसीलदार आमेर से मिलकर धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वंय के नाम स्वीकृत करवा लिया। नायब तहसीलदार द्वारा अनुसूचित के खातेदारी की भूमि का उक्त नामान्तकरण संख्या 10 गैरकानूनी बिना क्षेत्राधिकार के स्वीकृत किया है जो अवैध एवं प्रभाव शून्य बमुकाबले अपीलार्थीगण एवं उनके पिता व दादा नाथु पुत्र कक्शा के है। उक्त नामान्तकरण से रेस्पोडेन्ट्स या उनके पिता का कोई कानूनी अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार आमेर ने धारा 19 राजस्थान का तकारी अधिनियम के अनुसार रेस्पोडेन्ट्स के पिता काना पुत्र तेजा के नाम अपीलार्थीगण के पिता व दादा के खातेदारी की भूमि का नामान्तकरण स्वीकृत किया। जबकि धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति की खातेदारी की भूमि स्वर्ण जाति के सदस्यों के नाम नामान्तकरण नायब तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण संख्या 10 दिनांक 20.04.1960 ग्राम पूनाना तहसील आमेर स्वीकृत किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या

संभागीय आयुक्त
जयपुर

10 स्वीकृत होने से पूर्व नायब तहसीलदार ने अपीलार्थीगण के पिता स्वर्गीय नाथू पुत्र बक्सा को सबूत सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकतरफा मे स्वीकृत किया गया है। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायायल अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर तृतीय के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा नामान्तरकरण संख्या 10 दिनांक 20.04.1960 ग्राम पूनाना तहसील आमेर द्वारा स्वीकृत के विरूद्ध अपील पेश की गई, नामान्तकरण संख्या 10 कॉलम नंबर 5 मे खातेदार नाथू वल्द बक्शा जाति बलाई अंकित है। जिसके स्थान पर कॉलम नंबर 11 में काना वल्द तेजा जाट के नाम नायब तहसीलदार आमेर ने धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वीकृत किया है उक्त नामान्तकरण भू–प्रबन्ध अधिकारी सीकर के आदेश दिनांक 27.08.1952 के आधार पर स्वीकृत नहीं हुआ है। इसलिये प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 09.03.2017 में प्रश्नाधीन नामान्तकरण भू प्रबन्ध अधिकारी सीकर के आदेश दिनांक 27.08.1952 को आधार बनाकर मनमाना निर्णय पत्रावली के तथ्यों से बाहर जाकर पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में भू–प्रबन्ध अधिकारी सीकर के आदेश दिनांक 27.08.1952 का अंकन किया है, जबकि उक्त निर्णय को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली में रेकार्ड पर लेने के कभी कोई प्रार्थनपा पत्र अपीलांट द्वारा पेश ही नहीं किया और ना ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के भाग ही नहीं थे, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनन जो दस्तावेजात नियमानुसार रेकार्ड पर नहीं लिये गये, और उनके आधार पर निर्णय पारित नहीं किया जा सकता था। आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. में स्पष्ट उल्लेख है कि अपील स्तर पर अतिरिक्त साक्ष्य पेश किये जाने हेतु नियम 267 में वर्णित प्रावधानों के तहत ही अतिरिक्त साक्ष्य रिकोर्ड पर लिये जावेंगे, जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने बाबत कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया और ना ही अतिरिक्त साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिकोर्ड पर लिये गये। इस प्रकार रिकोर्ड पर लिये बिना दस्तावेज को आधार मानकर निर्णय पारित नहीं किया जा सकता था। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण के जरिये अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि स्वर्ण जाति के व्यक्ति के नाम बिना आधारों के खातेदारी देना भी अधिनियम 1955 की धारा 42 के अन्तर्निहित मंशा के विपरीत है, जिसमें अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति की भूमि गैर अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के नाम हस्तान्तरण कानून अवैध है। अन्यथा भी भू–प्रबन्ध अधिकारी सीकर का आदेश दिनांक 27.08.1952 में कब्जा अपीलांट के पिता व दादा नाथू पुत्र बक्शा का माना है लेकिन प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त निर्णय में कब्जे बाबत गलत रूप की व्याख्या कर रेस्पोडेन्ट के पिता का कब्जा मानकर अपील खारिज की है। अतः अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.03.2017 उनवानी हनुमान व अन्य बनाम धन्ना व अन्य खारिज किये जाने व नामान्तरकरण संख्या 10 दिनांक 20.04.1960 ग्राम पूनाना तहसील आमेर को निरस्त किया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उनके धारा 96 व धारा 5 के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत जवाब में विस्तृत रूप से वास्तविक तथ्यों का उल्लेख किया है। सम्वत् 1985 के रेकार्ड में रेस्पोडेन्ट रेकार्डेड खातेदार था एवं सम्वत 2004 में सेटलमेंट हुआ तब रेस्पोडेन्ट के बाहर जाने के कारण मेवा नाम के पटेल को भूमि काश्त के लिये दी थी। भू–प्रबन्ध के समय पर्चे की अपील की थी। जिसे दिनांक 27.08.1952 को स्वीकार कर पर्चे को खारिज कर दिया गया था। किन्तु उसका अमल नहीं हो सका। उक्त निर्णय सेटलमेंट का अंतिम निर्णय था। जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 10 दिनांक 02.04.1960 को काना पुत्र तेजा जाट के नाम से स्वीकार हुआ। यह नामान्तकरण सेटलमेंट में उक्त अपील स्वीकार होने के कारण तस्दीक किया गया था। इसमें धारा 19 लिख देने की तकनीकी आधार पर यह नामान्तरकरण खारिज नहीं किया जा सकता। इस नामान्तरकरण बाबत अपीलांट के पूर्वजों को त्तसमय जानकारी रही थी। काश्तकारी अधिनियम 1955

संभागीय आयुक्त
जयपुर

में लागू होने से पूर्व ही रेस्पोडेन्ट खातेदार थे इसलिए धारा 19 लिख देने से हमारे अधिकार समाप्त नहीं हो जाते है। वकील रेस्पोडेन्ट ने यह भी कथन किया कि पार्ट 19 (1) में खातेदारी स्वतः ही मिल जाती है। उनका कहना है कि अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

6. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट श्री हनुमान पुत्र नाथू वगै0 द्वारा नायब तहसीलदार आमेर द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 10 दिनांक 20.04.1960 ग्राम पूनाना तहसील आमेर के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर के यहॉ दिनांक 28.08.2012 को प्रा.पत्र 96 सी.पी.सी. एवं प्रा.पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ लगभग 52 वर्ष प्रस्तुत की गयी है। अपीलार्थीगण की ओर से मुख्य रूप से यह कथन किया गया है विवादित आराजी साबिक खसरा नंबर 51, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 73, 209 कुल किता 10 कुल रकबा 27 बीघा 5 बिस्वा का पर्चा चकबंदी अनुसार अपीलार्थी व प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट के पिता व दादा नाथू पुत्र बक्शा के नाम प्रथम सेटलमेंट सम्वत 2004–2023 में कब्जा काशत के आधार पर पर्चा खतौनी जारी हुआ, परन्तु उक्त आराजी का नामान्तरकरण संख्या 10 दिनांक 20.04.1960 प्रतिवादीगणा के पिता काना पुत्र तेजा जाति जाट के धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वंय के नाम से स्वीकृत करा लिया जो नायब तहसीलदार क्षेत्राधिकार में नहीं आता। इस संबंध में रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत भू–प्रबन्ध अधिकारी सीकर के आदेश दिनांक 27.08.1952 को ही खारिज किया जा चुका था। अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे उक्त आदेश की अपील करना जाहिर होता हो। ऐसी स्थिति में पर्चा खतौनी खारिज होने से अपीलांट का मूल आधार ही समाप्त हो जाता है, जहॉ तक नायब तहसीलदार द्वारा धारा 19 के अन्तर्गत नामान्तरकरण स्वीकृत करने का प्रश्न है, भू–अभिलेख नियमों के अन्तर्गत तहसीलदार/नायब तहसीलदार को अपने–अपने क्षेत्रों के लिए नामान्तरकरण के आदेश दिनांक 27.08.1952 एवं सम्वत 2008 से प्रस्तुत चतुवर्षीय गिरदावरियों से काबिज थे तथा इसी आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा धारा 19 के अन्तर्गत नामान्तरकरण संख्या 10 स्वीकार किया गया । अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.03.2017 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.03.2017 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।